

न्यायालय : शिवानी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आप.प्रक.क्रमांक :- 878 / 2015)
(संस्थित दिनांक :- 06 / 11 / 2015)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. सोनू खॉ पुत्र गुलशेर खॉ, उम्र 27 वर्ष।
 निवासी :- द्वारिकापुरी मौ, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 07 / 06 / 2018 को घोषित)

01. आरोपी सोनू खॉ पर धारा 379 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक : 04 / 09 / 2015 की दोपहर लगभग 01:00 बजे सब्जी मण्डी मौ में, फरियादी जयप्रकाश गुप्ता का सेमसंग कम्पनी का मोबाइल चोरी करने के के आशय से फरियादी के कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने का आशय रखते हुए हटाकर चोरी किया।

02. अभियोजन कथा सांक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक :- 04 / 09 / 2015 को दोपहर लगभग 01:00 बजे फरियादी जयप्रकाश गुप्ता कपड़ा बेचने, सब्जी मण्डी मौ गया था, जहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पेन्ट की जेब से सैमसंग कम्पनी का मोबाइल कीमत लगभग 3000/- रुपये चोरी कर लिया, काफी ढूढ़ने पर जब मोबाइल नहीं मिला, तब दिनांक : 06 / 09 / 2015 को फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मौ लेख कराई गई, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 207 / 2015 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। फरियादी जयप्रकाश के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर मैमोरेण्डम तैयार किया गया, मैमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त से चोरीशुदा सम्पत्ति जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त सोनू खॉ को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। साक्षी जमुना प्रसाद एवं सुरेन्द्र के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा सम्पत्ति की शिनाख्ती कार्यवाही कराई। विवेचना पूर्णकर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार करते हुये निर्दोषिता का बचाव किया। अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं में अभियुक्त ने स्वयं

को झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया और अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

04. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी सोनू खॉ ने दिनांक :- 04/09/2015 की दोपहर लगभग 01:00 बजे सब्जी मण्डी मौ में, फरियादी जयप्रकाश गुप्ता का सेमसंग कम्पनी का मोबाइल चोरी करने के के आशय से फरियादी के कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने का आशय रखते हुए हटाकर चोरी किया?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

05. सर्वप्रथम जहाँ तक फरियादी जयप्रकाश गुप्ता के आधिपत्य से प्रश्नगत मोबाइल चोरी होने का प्रश्न है, इस बिन्दु पर स्वयं फरियादी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। यहाँ तक कि अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखकर्ता को भी प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। फरियादी के आधिपत्य से प्रश्नगत मोबाइल चोरी होने के संबंध में अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य भी अभिलेख पर नहीं है।

06. प्रकरण में अभियोजन साक्षी अवनीश शर्मा अ.सा.04 एवं राजन सिंह गुर्जर अ.सा.05 ने थाना मौ के अपराध क्रमांक 207/2015 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. की विवेचना करना बताया है। उक्त अपराध फरियादी जयप्रकाश गुप्ता के आधिपत्य से अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल चोरी करने के संबंध में पंजीबद्ध किया गया है। अर्थात् तर्क के लिए यह मान लिया जाये कि घटना दिनांक : 04/09/2015 को फरियादी के आधिपत्य से उक्त मोबाइल की चोरी हुई थी, तब प्रश्न यह है कि क्या उक्त चोरी अभियुक्त द्वारा की गई थी?

07. इस संबंध में प्रथम विवेचक अवनीश शर्मा अ.सा.04 ने प्रकरण की विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर नक्शा-मौका प्र.पी.06 बनाना, फरियादी जयप्रकाश एवं साक्षी सुरेन्द्र एवं जमुना के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना बताया है। जबकि द्वितीय विवेचक राजन सिंह गुर्जर अ.सा.05 का कहना है कि दिनांक : 09/09/2015 को उसने थाना परिसर मौ में साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त सोनू खॉ से थाना परिसर में पूछताछ कर मैमोरेडम अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसमें अभियुक्त ने फरियादी जयप्रकाश गुप्ता का चुराया हुआ मोबाइल अपनी जेब में रखना बताया था। साक्षी का यह भी कहना है कि उसने अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 एवं अभियुक्त के आधिपत्य से सेमसंग कम्पनी का मोबाइल जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था।

08. साक्षी अवनीश शर्मा द्वारा की गई मैमोरेडम, जब्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही का समर्थन साक्षी सुरेन्द्र सिंह अ.सा.02 ने अपने कथनों में किया है,

जबकि साक्षी जमुना प्रसाद अ.सा.03 ने उसके समक्ष ऐसी कोई भी कार्यवाही होने से स्पष्ट इन्कार किया है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी के कथनों में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है, जिनसे अभियोजन के मामले को बल प्राप्त होता हो।

09. यदि साक्षी राजन सिंह गुर्जर अ.सा.05 द्वारा की गई पूर्वोक्त कार्यवाहियों की विश्वसनीयता पर विचार करें, तो साक्षी प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में बताता है कि दिनांक : 08/09/2017 को उसने अभियुक्त सोनू खों को धारा 34 आबकारी अधिनियम के एक अन्य प्रकरण में गिरफ्तार किया था तथा वर्तमान प्रकरण का मैमोरेण्डम प्र.पी.03 दिनांक : 09/09/2015 को 08:00 बजे तैयार किया गया था। साक्षी राजन सिंह अ.सा.05 ने यह भी स्वीकार किया है कि मैमोरेण्डम लेख किये जाने के एक दिन पूर्व से अभियुक्त सोनू खों थाना मौ में निरुद्ध था और पुलिस की अभिरक्षा में था। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसकी जामा तलाशी ली जाती है और उससे प्राप्त हुई सभी वस्तुओं का उल्लेख गिरफ्तारी पत्रक में किया जाता है और वस्तुएं एच.सी.एम. के सुपुर्द कर दी जाती है।

10. अब यदि अभियुक्त सोनू खों को आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य प्रकरण में एक दिन पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया था, तब निश्चित रूप से उस समय पर उसके आधिपत्य में पाई गई वस्तुएं गिरफ्तारीकर्ता अधिकारी द्वारा अभिप्राप्त की गई होगी। साथ ही दिनांक : 09/09/2015 को चूंकि अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में था, तब यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्र.पी.04 के जब्ती पत्रक अनुसार जब्ती की कार्यवाही हुई थी और इस प्रकार धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की विधिक प्रयोज्यता समाप्त हो जाती है।

11. जहाँ कि समर्थनकारी साक्षी सुरेन्द्र सिंह अ.सा.02 के अनुसार अभियुक्त को सब्जी मण्डी में गिरफ्तार किया गया था, जहाँ से थाने की दूरी लगभग आधा किलोमीटर थी और गिरफ्तार के बाद अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से सैमसंग कम्पनी का मोबाइल मिला था। अभियुक्त की तलाशी सब्जी मण्डी में ली गई थी, जबकि मोबाइल की जब्ती थाने पर की गई थी। इसके विपरीत साक्षी राजन सिंह गुर्जर अ.सा.05 के अनुसार मैमोरेण्डम एवं जब्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही थाना परिसर में उस समय की गई थी, जब अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में था। इस प्रकार उक्त कार्यवाही के संबंध में दोनों साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभास व्याप्त है।

12. शिनाख्तीकर्ता राजाराम जैन अ.सा.01 ने बताया है कि थाने के एस.ओ.साहब ने उसके समक्ष फरियादी जयप्रकाश गुप्ता को मोबाइल दिया था, उसके समक्ष ही जयप्रकाश ने चार मोबाइलों में से अपना मोबाइल पहचाना था, जिसके आधार पर शिनाख्ती मैमों प्र.पी.01 लेख किया गया था। दौरान प्रति-परीक्षण साक्षी ने पहचान की कार्यवाही पुलिस अधिकारी द्वारा थाना पर कराया बताया है, जो कि

प्रक्रियात्मक रूप से विधिक उद्देश्यों से पूर्णतः विपरीत है। जहाँ कि स्वयं विवेचनाकर्ता द्वारा फरियादी को पहचान कार्यवाही के रूप में प्रश्नगत सम्पत्ति सौंप दी गई हो, वहाँ यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि जब्तशुदा सम्पत्ति की विधिवत् पहचान कार्यवाही फरियादी द्वारा की गई थी। साक्षी राजाराम जैन अ.सा. 01 के अनुसार वह फरियादी को नहीं जानता और जिस व्यक्ति ने पहचान की थी, उसकी आयु लगभग 30-35 वर्ष रही होगी, जबकि अभियोग-पत्र के अनुसार वर्तमान प्रकरण में फरियादी जयप्रकाश गुप्ता की आयु 20 वर्ष लेख है। इस प्रकार पहचान कार्यवाही ना केवल संदेहास्पद है, अपितु दूषित भी प्रतीत होती है।

13. पूर्वोक्त विवेचना के आधार प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि फरियादी के आधिपत्य से प्रश्नगत मोबाइल चोरी हुआ था। यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान उक्त मोबाइल के संबंध में जानकारी दी गई थी, जिसके आधार पर अभियुक्त से मोबाइल जब्त किया गया था। यह भी प्रमाणित नहीं है कि प्रकरण में जब्तशुदा मोबाइल की विधिवत् शिनाख्त कार्यवाही फरियादी द्वारा की गई थी। वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध घटना के दो दिन पश्चात् लेख कराई गई थी, अर्थात् सम्पूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी उससे तथ्यों की एक ऐसी श्रृंखला प्रमाणित नहीं होती जिसके आधार पर एक मात्र निष्कर्ष अभियुक्त द्वारा चोरी किये जाने का निकाला जा सके।

14. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सोनू खॉ ने दिनांक :- 04/09/2015 की दोपहर लगभग 01:00 बजे सब्जी मण्डी मौ में, फरियादी जयप्रकाश गुप्ता का सेमसंग कम्पनी का मोबाइल चोरी करने के के आशय से फरियादी के कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने का आशय रखते हुए हटाकर चोरी किया। अतः आरोपी सोनू खॉ पुत्र गुलशेर खॉ को भा.द.सं. की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

15. प्रकरण में जब्तशुदा मोबाइल के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। दावा प्रस्तुत होने की दशा में निराकरण के संबंध में पृथक से आदेश किया जायेगा। कोई दावा प्रस्तुत ना होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् शासन के हित में राजसात समझा जावेगा। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(शिवानी शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(शिवानी शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद